न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प भोपाल

निगरानी- 5651/2018/होशंगाबाद/भू.रा.

जाकिर हुसैन आयु करीब 52 वर्ष आ0 प्यारे मियां
निवासी आजाद वार्ड पिपरिया,तहसील पिपरिया,
जिला होशंगाबाद ....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

हुसैन अली आयु करीब 60 वर्ष आ0 अकबर अली बोहरा
निवासी आजाद वार्ड पिपरिया,तहसील पिपरिया,
जिला होशंगाबाद ....उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्न निवेदन है :–

पुनरीक्षणकर्ता माननीय कलेक्टर महोदय के रा.प्र.क.–0001अ / 12 / 2015–16 जिसमें पक्षकार जाकिर हुसैन बनाम हुसैन अली थे, में पारित आदेश दिनांक 27.04.2018 से क्षुब्ध व व्यथित होकर उक्त पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि माननीय कलेक्टर महोदय होशंगाबाद के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 50 के तहत दिनांक 27.09.2016 को प्रस्तुत की गई थी, जिसमें आवेदक के द्वारा उक्त पुनरीक्षण याचिका में 19.07.2016 के सीमाकंन से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। उक्त पुनरीक्षण याचिका में आवेदक द्वारा उत्तरवादी द्वारा करवाये गये सीमाकंन दिनांक 19.07.2016 को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उत्तरवादी

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5651/2018/होशंगाबाद/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-2-19	आवेदक अधिवक्ता श्री मोहन चौधरी उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त न्यायालय को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 22-4-2019 को आयुक्त के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हो । अध्यक्ष	